

विदेश मंत्रालय
प्रशासन प्रभाग
(पेंशन अनुभाग)

सं. क्यू/पेन/551/22/2015

दिनांक 27 नवंबर, 2015

श्री राजकुमार भंदावर
मो. शहविलायत
जिला: बिजनौर

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया अपने आर टी आई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें विभिन्न मुद्दों पर सूचना मांगी गई है। आपके आवेदन के भाग 3 में मांगी गई सूचना भारत सरकार के पेंशन पोर्टल (<http://pensionerportal.gov.in/PensionRules3.asp>) पर आसानी से उपलब्ध है। इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप इस वेबसाइट पर सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 54, खंड 6 का अवलोकन करें।

2. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप श्री बी. बनलालवावना, निदेशक (ए.डी.पी.) और अपील प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, कमरा सं. 4095, जवाहर लाल नेहरू भवन, नई दिल्ली को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

तनुज शंकर

(तनुज शंकर)

अवर सचिव (पेंशन)

कमरा सं. 4092, जवाहर लाल नेहरू भवन

जनपथ, नई दिल्ली

दूरभाष: 011-49015477

प्रति:


- निदेशक (एडीपी)
- अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
- अवर सचिव (डीडी), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

कामात्प - स्ट्री
27/11/15

प्राप्तेका दर शका हस्त रिचा कर्तु रुपयांगी १०००० पत्र औप दहारपये करा करा। एम रुपये दश स्वरकाणि

अपरकान्य

NOT NEGOTIABLE



दाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER



दाक अधिकारी DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श. कना दादलाल
प्रियदर्श भवालपुरी जी लंबान
दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में आदा करें।

इस लाइन के नीचे नहीं लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE



कर्नीशन COMMISSION ५० Paise

प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

श. जन्मुभार भेदावर
माई आषाढ़ विलापत् पोन्हाई
पिला विजनौर २५६७२१

96E 972744

प्रपत्र एक

सचना का अधिकार अधिनियम 2005

सचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

4691875
03/11

हस्ताक्षर

ଶିଖ୍ୟାମାର

(आवेदन कर्ता)

विशेष-र्याद आवेदके द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र के साथ 10/- रुपये का नाम जुड़िशल म्यामी संलग्न करते हुए स्वयं का गता अंकित करते हुए आवश्यक गांश का डाक टिकट लगा लिफाका संलग्न करें।

~~Urgent~~

पावती

3(a) 1. आवदन प्राप्त होने का दिनांक.....
2. आवदन कर्ता का वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक.....
3. सम्बंधित शाखा/अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी.....

Chir Lolesh

दिनांक.....

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक उच्चाधिकारी प्राप्तकर्ता के हो